सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 75/2017

1. जगमाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पदमपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. बृजलाल
4. कृष्णलाल
5. रामचन्द

} पिसरान श्री शेराराम जाति जाट निवासीयान गांव नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी

:: आदेश :: **दिनांक :– 21.08.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 49 एलएल डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 95,96,99,100 व 111 की 12.397 हैक्टर नहरी भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज थी जिसमें अपीलांट के नाम 5.110 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम से 3.593 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 05 के नाम से 3.694 हैक्टर भूमि दर्ज थी। राजस्व अभियान में विभाजन के समय जगमाल के नाम से 5.100 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन अधिनस्थ अदालत ने जगमाल व ओमप्रकाश का हिस्सा बराबर करके दर्ज कर दिया, जबकि ओमप्रकाश का हिस्सा 3.593 हैक्टर था और दूसरा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कुल भूमि में 4 बिस्वा रकबा कम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार जितना हिस्सा था उनके अनुसार पक्षकारान का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करने से पहले अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया। अधीनस्थ अदालत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ अदालत ने जो जमाबन्दी में दर्ज था दोनो जितने हिस्से के मालिक थे उतने–उतने ही किले का अलग खाता कायम करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लिखते वक्त सहवन भूल से बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि जगमाल के नाम 4.04 हिस्सा था और ओमप्रकाश के नाम 284 हिस्सा था। दोनो के हिस्से तक विभाजन होना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सहवन भूल से हिस्से के अनुसार दर्ज न कर बहिस्सा बराबर पिता पुत्र कर दिया। इसलिए आदेश काबिले निरस्ती है। अपीलान्ट के नाम से 5.100 हैक्टर भूमि थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम से 5.393 है, भूमि थी तो उसी के अनुसार बंटवारा होना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा बराबर का किया और 4 बिस्वा भूमि कम कर दी। इसलिए अधीनस्थ अदालत ने इंतकाल तस्दीक करते वक्त सही ढंग से विवेचन नहीं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया। रेस्पोडेन्ट सख्या 03 ता 5 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ अदालत दिनांक 04.02.2008 निरस्त करके हिस्से के अनुसार खाता विभाजन कर हिस्से की हद तक इंतकाल दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 49 एलएल डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 95,96,99,100 व 111 की 12.397 हैक्टर नहरी भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज थी जिसमें अपीलांट के नाम 5.110 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम से 3.593 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 05 के नाम से 3.694 हैक्टर भूमि दर्ज थी। राजस्व अभियान में विभाजन के समय जगमाल के नाम से 5.100 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन अधिनस्थ अदालत ने जगमाल व ओमप्रकाश का हिस्सा बराबर करके दर्ज कर दिया, जबकि ओमप्रकाश का हिस्सा 3.593 हैक्टर था और दूसरा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कुल भूमि में 4 बिस्वा रकबा कम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार जितना हिस्सा था उनके अनुसार पक्षकारान का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करने से पहले अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया। अधीनस्थ अदालत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ अदालत ने जो जमाबन्दी में दर्ज था दोनो जितने हिस्से के मालिक थे उतने–उतने ही किले का अलग खाता कायम करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लिखते वक्त सहवन भूल से बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि जगमाल के नाम 4.04 हिस्सा था और ओमप्रकाश के नाम 284 हिस्सा था। दोनो के हिस्से तक विभाजन होना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सहवन भूल से हिस्से के अनुसार दर्ज न कर बहिस्सा बराबर पिता पुत्र कर दिया। इसलिए आदेश काबिले निरस्ती है। अपीलान्ट के नाम से 5.100 हैक्टर भूमि थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम से 5.393 है, भूमि थी तो उसी के अनुसार बंटवारा होना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा बराबर का किया और 4 बिस्वा भूमि कम कर दी। इसलिए अधीनस्थ अदालत ने इंतकाल तस्दीक करते वक्त सही ढंग से विवेचन नहीं किया। रेस्पोडेन्ट सख्या 03 ता 5 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ अदालत दिनांक 04.02.2008 निरस्त करके हिस्से के अनुसार खाता विभाजन कर हिस्से की हद तक इंतकाल दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

रेस्पोडेंटस संख्या 02 ओमप्रकाश स्वंय उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पिता द्वारा दिनांक 04.02.2008 निर्णय तहसीलदार पदमपुर के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जिसमें जमाबन्दी में हिस्से अनुसार इंतकाल दर्ज होना चाहिए था। जमाबन्दी में मेरे पिता नाम 404 हिस्सा था, मेरा 284 हिस्सा था। जमाबन्दी सम्वत् 2042 में यह हिस्से दर्ज है। लेकिन बंटवारा में , इंतकाल में बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया है, जबकि हिस्से के अनुसार ही जमाबन्दी में इंतकाल दर्ज होना चाहिए था। उक्त प्रकरण में हिस्से के अनुसार जमाबन्दी में भूमि दर्ज की जावे तो मुझ ओमप्रकाश पुत्र जगमाल को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये अपील मंजूर कर हिस्से के अनुसार इंतकाल दर्ज कर दिया जावे तो मै इससे सहमत हूँ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कि यदि अपील मंजूर कर ली जावे तो मेरे को इस पर कोई एतराज नहीं है व मै इससे सहमत हूँ। जमाबन्दी में हिस्से के अनुसार बंटवारा दर्ज कर दिया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्टस संख्या 02 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बंटवारा अनुसार जमाबन्दी में रकबा दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रस्तुत करने पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार पदमपुर का आदेश दिनांक 04.02.2008 एवं इसके अनुसरण में भरा गया नामान्तरकरण सख्या 438 दिनांक 14.02.2018 चक 49 एलएल डब्ल्यू बआदेश विभाजन प्रस्ताव जगमालराम ओमप्रकाश हिस्से के अनुसार विभाजन न कर बहिस्सा बराबर कर दिया गया को निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त रकबा को विभाजन से पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार अमल दरामद करने हेतु नये सिरे से नामान्तरकरण भरकर पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर